vinetur

जर्मनी 2027 में संघीय स्पिरिट्स कर 20% बढ़ाने की योजना बना रहा है

समिति की समीक्षा के बाद स्पार्कलिंग वाइन को छूट मिली ; बजट विधेयक में बीयर और वाइन भी कर बढ़ोतरी से बाहर हैं

शनिवार, 21 नवंबर 2026



जर्मनी 1982 के बाद पहली बार संघीय स्पिरिट्स कर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट पैकेज के तहत 1 जनवरी, 2027 से आसुत अल्कोहल पर कर 20% बढ़ाया जाएगा, जबकि बीयर और वाइन को इस बदलाव से बाहर रखा जाएगा। समिति के संशोधन के बाद स्पार्कलिंग वाइन को भी छूट दी गई है।

यह प्रस्ताव Haushaltsbegleitgesetz 2027 का हिस्सा है, जो वित्त मंत्री Lars Klingbeil द्वारा पेश किया गया बजट-संबंधी कानून है। योजना के तहत स्पिरिट्स पर कर की दर 13.03 यूरो से बढ़ाकर प्रति लीटर शुद्ध अल्कोहल 15.64 यूरो की जाएगी। इटली के पेय व्यापार प्रकाशन The Garnish के अनुसार, इस बदलाव से 40% अल्कोहल मात्रा वाली 0.7-लीटर वोदका की बोतल की खुदरा कीमत में लगभग 90 यूरो सेंट की बढ़ोतरी होगी।

यह उपाय अभी विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। 12 नवंबर को Bundestag की वित्त समिति की समीक्षा के बाद सांसदों ने स्पार्कलिंग वाइन को बढ़ोतरी के दायरे से हटा दिया। इस छूट में जर्मनी का Schaumweinsteuer शामिल है—यह ऐसा कर है जो देश में बेची जाने वाली सभी स्पार्कलिंग वाइन पर लागू होता है, चाहे उनका मूल स्थान कुछ भी हो ; इसमें Prosecco और Champagne भी शामिल हैं। पूरे संसद में मतदान की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

इसी दौरान, सत्तारूढ़ गठबंधन ने जर्मनी के अल्कोपॉप कर का दायरा बढ़ाकर 15% तक अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रित पेयों को भी शामिल कर लिया है, जिनमें स्पिरिट्स से बने रेडी-टू-ड्रिंक उत्पाद भी आते हैं। The Garnish के अनुसार, समिति ने विस्तारित अल्कोपॉप कर की दर में 45% की कटौती भी की, हालांकि 10% अल्कोहल वाले 33-सेंटिलीटर के कैन पर इससे अब भी लगभग 1 यूरो अतिरिक्त लगेगा। समिति ने इस कर से मिलने वाले राजस्व का 1%, अधिकतम 1 मिलियन यूरो तक, लत की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए देने का निर्देश भी दिया।

इस उपाय के मूल मसौदे से जुड़े राजस्व अनुमानों में—स्पार्कलिंग वाइन को दायरे से हटाए जाने से पहले—2027 में 380 मिलियन यूरो और 2031 तक हर साल 455 मिलियन यूरो के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान था। संशोधित विधेयक मौजूदा रूप में कानून बनता है तो अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं।

जर्मनी में यह बहस स्वास्थ्य मंत्री Nina Warken द्वारा गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ आयोग के अधिक कठोर प्रस्ताव के बाद हो रही है। मार्च में आयोग ने 2027 से 2029 के बीच तीन चरणों में वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे स्पिरिट्स पर उत्पाद शुल्क बढ़कर प्रति लीटर 26.03 यूरो हो जाता—जो मौजूदा दर का लगभग दोगुना है।

स्पिरिट्स उद्योग ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। जर्मन स्पिरिट्स उत्पादकों और आयातकों का संगठन BSI का तर्क है कि इस क्षेत्र पर पहले से ही अनुपातहीन कर बोझ है। संगठन के अनुसार, जर्मनी में बिकने वाले अल्कोहलिक पेयों की मात्रा में स्पिरिट्स की हिस्सेदारी 4.6% है, लेकिन उपभोग किए गए शुद्ध अल्कोहल में इसकी हिस्सेदारी 18% से 20% और अल्कोहल कर राजस्व में लगभग 70% है। संगठन द्वारा कराई गई एक कानूनी राय का तर्क है कि नया बोझ—जो उसके अनुसार बीयर पर कर के स्तर से 7.9 गुना होगा—जर्मनी के संविधान और यूरोपीय कानून से टकराता है।

यह प्रस्ताव कर नीति से आगे भी मायने रखता है, क्योंकि इससे पेय श्रेणियों के बीच कीमतों की प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल सकता है। स्पिरिट्स पर कर बढ़ाते हुए बीयर, वाइन और अब स्पार्कलिंग वाइन को बाहर रखने से जर्मनी में अलग-अलग श्रेणियों के बीच कर का अंतर बढ़ेगा। इससे डिस्टिलरी, आयातकों और स्पिरिट्स-आधारित रेडी-टू-ड्रिंक ब्रांडों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, जबकि बढ़ोतरी से बाहर रहने वाले उत्पादों को कर के लिहाज से तुलनात्मक लाभ मिलेगा।

जर्मनी यह कदम अकेले नहीं उठा रहा है। जुलाई 2025 से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी 3 by 35 पहल को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत सरकारों से तंबाकू, अल्कोहल और मीठे पेयों की वास्तविक कीमतें 2035 तक कम-से-कम 50% बढ़ाने के लिए कर का इस्तेमाल करने का आह्वान किया गया है।

दूसरे देशों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। ऑस्ट्रिया ने ऐसा कानून पहले ही पारित कर दिया है, जिसके तहत 1 जनवरी, 2027 से अल्कोहल कर 30% बढ़कर प्रति लीटर निर्जल अल्कोहल 15.60 यूरो हो जाएगा ; बीयर और वाइन को भी इससे बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि इस बदलाव से 2027 में 35 मिलियन यूरो और 2028 से हर साल 45 मिलियन यूरो अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

यूनाइटेड किंगडम में अक्टूबर बजट 2026 के तहत सभी अल्कोहल करों को फिर से मुद्रास्फीति से जोड़ दिया गया, जिससे 1 फरवरी, 2027 से 4.55% की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 2023 में सुधार के तहत अल्कोहल पर उसकी मात्रा के आधार पर कर लगाया गया था। उद्योग संगठनों का कहना है कि वहां स्पिरिट्स कर तीन वर्षों में 17% बढ़ा है। HM Revenue and Customs के आंकड़ों के अनुसार, 2025/26 वित्त वर्ष में स्पिरिट्स कर से 4.059 बिलियन पाउंड का राजस्व

मिला, जो पिछले वर्ष से 94 मिलियन पाउंड कम था। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में सुधार की समीक्षा शुरू की और Scotch Whisky Association कर में कटौती की मांग कर रहा है।

पोलैंड में सांसदों ने नवंबर 2025 में उत्पाद शुल्क में अधिक तेज बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके तहत 2026 में 15% और 2027 में 10% की वृद्धि होनी थी, जबकि कानून में पहले से तय सालाना बढ़ोतरी 5% थी। लेकिन राष्ट्रपति Karol Nawrocki ने दिसंबर 2025 में इस उपाय को वीटो कर दिया। उनका कहना था कि इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना होगा और इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। सालाना 5% की बढ़ोतरी लागू रहेगी।

अन्य जगहों पर सरकारों ने कम कठोर तरीका चुना है। जापान ने 1 अक्टूबर को बीयर कर का पुनर्गठन पूरा किया। बीयर कर 14.4% घटाकर happoshu और तीसरी श्रेणी के बीयर-जैसे उत्पादों की दर के बराबर कर दिया गया, जिनकी दर बढ़ाकर उसी स्तर पर लाई गई। कैन में मिलने वाले chu-hi पेयों पर अब अधिक कर लगेगा और बड़े ब्रुअर कम लागत वाले ब्रांडों की विधि में बदलाव कर रहे हैं, ताकि उन्हें बीयर के रूप में बेचा जा सके।

कनाडा ने 1 अप्रैल से बीयर, स्पिरिट्स और वाइन पर सालाना उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी की 2% सीमा दो और वर्षों के लिए बढ़ा दी। संघीय कानून के तहत, अन्यथा इन करों में मुद्रास्फीति के अनुसार वृद्धि होती। घरेलू स्तर पर उत्पादित बीयर के पहले 15,000 हेक्टोलिटर पर कम दर भी जारी रखी गई। ऑस्ट्रेलिया ने 1 अगस्त, 2025 से अगस्त 2027 तक ड्राफ्ट बीयर पर उत्पाद शुल्क का मुद्रास्फीति-आधारित समायोजन रोक दिया और 1 जुलाई से डिस्टिलरी सहित छोटे उत्पादकों के लिए उत्पाद शुल्क रिफंड की सीमा बढ़ा दी। स्पिरिट्स पर साल में दो बार होने वाले मुद्रास्फीति-आधारित समायोजन जारी हैं।

इटली के पेय उद्योग के लिए जर्मनी का प्रस्ताव सीधे व्यावसायिक महत्व रखता है। इटली में एथिल अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क 1 जनवरी, 2015 से अपरिवर्तित है और प्रति लीटर निर्जल अल्कोहल 10.36 यूरो है। लेकिन Italian Trade Agency के अनुसार, 2025 में जर्मनी इतालवी लिकर और स्पिरिट्स का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। वहां बिक्री 363 मिलियन यूरो रही, जो कुल बिक्री का 18.95% थी। इस मामले में जर्मनी 12.5% हिस्सेदारी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे था।

यदि जर्मन विधेयक मौजूदा रूप में पारित हो जाता है, तो जर्मनी में बेचे जाने वाले इतालवी अमारी, लिकर और ग्रप्पा पर 20% कर वृद्धि लागू होगी। वर्माउथ और फोर्टिफाइड वाइन पर मध्यवर्ती उत्पादों वाला कर लागू रहेगा, जिसकी दर भी सरकार के मसौदे में 20% बढ़ाई गई है। वहीं, स्पिरिट्स से बने कैन-कॉकटेल और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक मिश्रित पेय विस्तारित अल्कोपॉप कर के दायरे में आएंगे।